

# महामारी के दौरान बाल संरक्षण

## मॉड्यूल 8





# विषय-सूची

<b>सत्र 1.1</b>	<b>3</b>
वैश्विक महामारी पर समझ तथा महामारी के दौरान उभरने वाले बाल संरक्षण के मुद्दे	3
<b>सत्र 1.2</b>	<b>5</b>
वैश्विक महामारी क्या है, इसके उदाहरण और कोविड-19 क्या है?	5
<b>सत्र 1.3</b>	<b>8</b>
कोविड-19 का सामाजिक-पारिस्थितिकी प्रभाव	8
<b>सत्र 1.4</b>	<b>12</b>
वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण से जुड़े खतरे	12
<b>सत्र 2.1</b>	<b>17</b>
वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों की भूमिका	17
<b>सत्र 2.2</b>	<b>24</b>
बाल देखरेख संस्थानों के लिए कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय	24
<b>सत्र 3</b>	<b>27</b>
बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना तथा लांछन और भेदभाव को सम्बोधित करना	27

## संक्षिप्ताकार

सी.सी.आई.	:	बाल देखरेख संस्थान
सी.सी.एल.	:	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.एन.सी.पी.	:	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे
सी.डब्ल्यू.सी.	:	बाल कल्याण समिति
सीडब्ल्यूपीओ	:	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
डी.सी.पी.ओ.	:	ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी
डी.सी.पी.यू.	:	ज़िला बाल संरक्षण इकाई
जे.जे.बी.	:	किशोर न्याय बोर्ड
एनसीपीसीआर	:	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एनआईएमएचएएनएस	:	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइन्स
एसजेपीयू	:	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एसओपी	:	मानक कार्य पद्धति
यूनिसेफ	:	यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड



समय  
4 घंटा

## सत्र 1.1

# वैश्विक महामारी पर समझ तथा महामारी के दौरान उभरने वाले बाल संरक्षण के मुद्दे



### सत्र के उद्देश्य

मॉड्यूल के अंत में प्रतिभागी:

- ♦ वैश्विक महामारी को परिभाषित कर पाएंगे।
- ♦ कोविड-19 और इसके नियंत्रण तथा रोकथाम के बारे में चर्चा कर पाएंगे।
- ♦ कोविड-19 के दौरान उभरने वाले बाल संरक्षण के मुद्दों की सूची बना पाएंगे।
- ♦ वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों जैसे विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और बाल देखरेख संस्थानों की भूमिका का वर्णन कर पाएंगे।
- ♦ बच्चों को विभिन्न मनोसामाजिक सहायता और लांछन तथा भेदभाव को सम्बोधित करने के तरीकों का उल्लेख कर पाएंगे।



### चरण 1: सत्र की शुरुआत यूनिसेफ के एक वीडियो से करें

<https://youtu.be/FdO7MHICkys>

क्रेडिट: “मेरा हीरो तुम हो” वीडियो माया एडम द्वारा पुस्तक “मेरा हीरो तुम हो” के आधार पर इंटर एजेंसी स्थायी समिति द्वारा उत्पादित है।



### चरण 2: वीडियो दिखाने के बाद प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। उन्हें जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें

1. वह कौन सी कुछ चुनौतियां हैं जिनका, कोविड-19 के दौरान बच्चों को सामना करना पड़ सकता है?

संभावित जवाब

क. एकाकीपन

ख. मनोवैज्ञानिक कठिनाईयां

ग. दिनचर्या में बाधा

घ. बीमारी होने का खतरा

2. वीडियो के आधार पर वह कौन सी कुछ बातें हैं जो देखभालकर्ता, बच्चों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं।

संभावित जवाब

क. उनके साथ समय बिताएं

ख. उन्हें अच्छी किताबें पढ़कर सुनाएं

ग. ध्यान लगाने और योग करने के लिए प्रेरित करें

घ. उन्हें अपने दोस्तों के सम्पर्क में एक मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रहने में मदद करें

3. कोविड-19 से स्वयं को बचाने के लिए कौन से स्वच्छता व्यवहार ठीक हैं?

संभावित जवाब

क. हाथ धोना

ख. मास्क पहनना

ग. खांसते या छींकते समय मुंह ढकना



**फैसिलिटेटर के लिए नोट:** प्रतिभागियों को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें, यदि आवश्यक हो तो छोटे बिंदुओं को जोड़ें।



### चरण 3: चर्चा का सारांश

- ♦ कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियां उस वातावरण को बिगाड़ देती हैं जिनमें बच्चे बढ़ते और विकसित होते हैं।
- ♦ कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए उपाय तथा उठाए गए कदम, बच्चों को सुरक्षात्मक जोखिम में डाल सकते हैं।
- ♦ गृह आधारित, संस्था आधारित क्वारनटाईन और अलगाव (आईसोलेशन) के उपाय, बच्चे तथा उनके परिवारों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।
- ♦ राष्ट्रीय लॉकडाउन के समय सभी आर्थिक गतिविधियां रोक दी गयी थीं जिससे सभी प्रभावित हुए खास तौर से समाज के कमजोर तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, जिनकी आर्थिक समस्या और बढ़ गयी।
- ♦ इससे पूरे परिवार पर दबाव पड़ता है और बच्चों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार तथा हिंसा के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है।
- ♦ बाल संरक्षण पर कार्य करने वाले लोगों को इन जोखिमों का प्रतिउत्तर देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना होगा।



## वैश्विक महामारी क्या है, इसके उदाहरण और कोविड-19 क्या है?



### गतिविधि 1: समूह कार्य और चर्चा



**चरण 1:** प्रतिभागियों को 4 समूहों में विभाजित करें। समूहों से निम्नलिखित प्रश्नों पर मंथन करने और उनका उत्तर देने के लिए कहें

समूह 1: परिभाषा और महामारी के उदाहरण

समूह 2: कोविड-19 क्या है

समूह 3: कोविड-19 के लक्षण

समूह 4: नियंत्रण और निवारक उपाय

समूहों को चर्चा करने के लिए लगभग 5–7 मिनट दें। जब वे चर्चा समाप्त कर लें, तो समूहों से एक प्रतिनिधि की पहचान करें और बड़े समूह के साथ निष्कर्षों को साझा करने के लिए कहें। उनके काम के लिए समूहों की सराहना करें और नीचे दिये गये बिन्दुओं के अनुसार चर्चा करें।

### वैश्विक महामारी की परिभाषा

- ♦ किसी वैश्विक महामारी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है "एक ऐसी महामारी जो विश्व स्तर पर या बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हो रही है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ चुकी है और सामान्यतः एक बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित कर रही है।



स्रोत: [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)




समूहों की उनके काम के लिए सराहना करें और निम्नलिखित बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करें:

### वैश्विक महामारी के उदाहरण

विभिन्न प्रकार के प्लेग, फ्लू, कॉलरा, एच.आई.वी./एड्स, सार्स आदि कुछ वैश्विक महामारियों के उदाहरण हैं।

### कोविड-19 क्या है?

- कोरोना वायरस बीमारी 2019 (कोविड-19) – 'CO' – कोरोना के लिए, 'VI' – वायरस के लिए और 'D' – बीमारी के लिए है – यह एक बीमारी है जो एक नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन के कारण होती है। इसकी पहचान सबसे पहले 'वुहान', चीन में हुई।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को एक वैश्विक बीमारी घोषित किया।
- यद्यपि, कोविड-19 को वैश्विक बीमारी के रूप में घोषित करना, यह संकेत नहीं है कि यह प्राणघातक है बल्कि यह बीमारी के विस्तृत भौगोलिक फैलाव की एक स्वीकारोक्ति है।



### कोविड-19 के लक्षण क्या हैं?

- कोविड-19 के सबसे सामान्य लक्षण हैं, बुखार, थकान, सूखी खांसी। कुछ मरीजों में बदन दर्द, नाक का बन्द होना, बहती नाक, गले में खराश या दस्त हो सकता है। यह लक्षण हल्के होते हैं और धीरे-धीरे शुरू होते हैं।
- कुछ लोग संक्रमित होते हैं किन्तु उनमें कोई लक्षण नहीं उत्पन्न होते हैं और वे अस्वस्थ महसूस नहीं करते हैं।
- लगभग 80 प्रतिशत लोग बिना किसी विशेष उपचार के स्वस्थ हो जाते हैं। यद्यपि लगभग 15 प्रतिशत लोगों में कोविड-19 गंभीर रूप ले लेता है, जिनमें तेज सांस चलना, भूख की कमी, शंका, लगातार बदन दर्द या छाती में दबाव और उच्च तापमान जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।





### नियंत्रण तथा रोकथाम के उपाय क्या हैं?

जब से कोविड-19 ने हमारे देश को प्रभावित किया है तभी से हम रोकथाम के कदम उठा रहे हैं। यद्यपि जो रोकथाम के कदम हम उठा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना अच्छा होगा।

- ♦ एक मीटर की शारीरिक दूरी का पालन हर समय करना।
- ♦ अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करना।
- ♦ अक्सर हाथ धोने की आदत डालना (कम से कम 40 से 60 सेकेंड तक), तब भी जब हाथ गन्धे न दिखाई दे रहे हों और अल्कोहल आधारित सेनेटाईज़र का इस्तेमाल (कम से कम 20 सेकेंड तक)।
- ♦ खांसने या छींकने के समय रुमाल/टीशू या मुड़े हुई कोहनी से मुंह और नाक ढकने का अभ्यास और प्रयोग किए गए टीशू का सही निस्तारण।
- ♦ सभी के द्वारा स्वास्थ्य के बारे में स्व-अनुश्रवण और किसी भी लक्षण के दिखने पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करना।


आईए अब कोविड-19 की रोकथाम पर एक वीडियो देखें

[https://drive.google.com/file/d/1bLg4c\\_p2ECRWim7BD6hB9eTozzSBiuZI/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1bLg4c_p2ECRWim7BD6hB9eTozzSBiuZI/view?usp=sharing)



### चरण 2: प्रतिभागियों के साथ भारत में कोविड-19 की स्थिति साझा करें।

16 सितंबर, 2021 तक, भारत में कोविड-19 की स्थिति:




## कोविड-19 का सामाजिक-पारिस्थितिकी प्रभाव



### चरण 1

चर्चा करें कि कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन हुआ, यातायात पर नियंत्रण लगाया गया और बहुत बड़े पैमाने पर शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ। इन कारकों के फलस्वरूप निम्न बातें हुई हैं:

- ♦ सामाजिक पूंजी का क्षरण; मूलभूत सेवाओं तक पहुंच में बाधा या कमी
- ♦ भरोसे का टूटना; कम संसाधनों के कारण आपसी खींचतान, सामुदायिक सहायक सेवाओं, शिक्षा तथा खेलने के स्थानों तक सीमित पहुंच
- ♦ परिवारों का विघटन, सामाजिक सहायता तक कम पहुंच, देखभालकर्ताओं का संकट, हिंसा/घरेलू दुर्व्यवहार का अत्यधिक जोखिम
- ♦ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, हिंसा, शोषण, मनोवैज्ञानिक संकट और विकास पर नकारात्मक प्रभाव



- ♦ कुछ विशेष संजातीय समूहों को लांछित करना
- ♦ जीविकोपार्जन में बाधाएं, पारिवारिक संबंधों एवं सहयोग में बाधाएं, बीमारी का भय<sup>1</sup>




## चरण 2

प्रतिभागियों से पूछें कि महामारी के दौरान बच्चे असुरक्षित होते हैं लेकिन बच्चों की एक श्रेणी होती है जो महामारी के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित होती है। प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करें यदि वे बच्चों की ऐसी श्रेणियों की पहचान करें। उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद, चर्चा करें जैसे:

### महामारी के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित बच्चों की श्रेणी:

- ♦ बाल देखरेख गृहों/वैकल्पिक देखरेख/बिना पारिवारिक देखरेख में रहने वाले बच्चे
- ♦ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे



<sup>1</sup> **Technical Note:** Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1), The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, Page 2

- ♦ प्रवासी परिवारों के साथ घुमन्तु बच्चे या अकेले/परिवार से अलग किए गए बच्चे/आईसोलेशन सुविधा केन्द्रों में रहने वाले बच्चे
- ♦ सड़कों पर रहने वाले बच्चे
- ♦ निःशक्त बच्चे
- ♦ एचआईवी से संक्रमित बच्चे
- ♦ यौन कर्मियों के बच्चे
- ♦ गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चे



### चरण 3

प्रतिभागियों के साथ साझा करें कि बाल संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को यह जानना आवश्यक है कि कैसे कोविड-19 या ऐसी कोई महामारी बच्चों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। साझा करें:

- ♦ कोई भी वैश्विक महामारी जैसे कोविड-19, बच्चों के जीवन पर लम्बे समय तक के लिए प्रभाव डाल सकती है। ऐसी स्थितियां सुरक्षित और निरापद वातावरण में जिसमें बच्चे बढ़ते और विकसित होते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करती है।
- ♦ परिवारों, मित्रों, दैनिक दिनचर्या और व्यापक समुदाय के अस्त-व्यस्त होने से बच्चों की खुशहाली, विकास और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ♦ इसके अतिरिक्त कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों से भी बच्चों को जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- ♦ गृह आधारित, सांस्थानिक क्वारन्टाईन तथा आईसोलेशन के सभी उपाय भी बच्चों तथा उनके परिवारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।<sup>2</sup>
- ♦ घर में बन्द होने के कारण अपने अनुभवों को अपने विश्वसनीय मित्रों या शिक्षकों से साझा करने की संभावना खत्म हो जाती है।



### चरण 4: बच्चों पर कोविड-19 के विशेष प्रभावों को साझा करें

कोविड-19 एक स्वास्थ्य संकट है जिसके व्यापक बाल अधिकार संकट में परिणत होने का खतरा है। वायरस का मनो-सामाजिक प्रभाव, अनेकों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी विपदा है।

- ♦ ऑनलाईन कक्षाओं के लिए डिजिटल उपकरण तथा इन्टरनेट न होने के कारण लाखों बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे। अनेकों बच्चे अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए भी स्कूल से ड्रॉप आउट हो सकते हैं।
- ♦ जो बच्चे अत्यधिक कमियों तथा तनाव का सामना कर रहे हैं इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।



<sup>2</sup> Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1)

- ♦ स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे जो घर में ही बन्द पड़े हैं उन्हें संभावित उपेक्षा, घरेलू दुर्व्यवहार तथा शोषण का सामना करना पड़ सकता है। भारत में, जब से लॉकडाउन हुआ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार में बढ़ोत्तरी हुई है और इस बात के भी सबूत हैं कि बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।<sup>3</sup>
- ♦ लॉकडाउन होने के साथ ही, बच्चों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार<sup>4</sup> के जोखिम में अत्यन्त वृद्धि हुई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  1. बाल यौन शोषण
  2. लिंग आधारित हिंसा
  3. दुर्व्यवहार
  4. ऑनलाईन दुर्व्यवहार<sup>5</sup>
- ♦ कोविड-19 महामारी ने उन बच्चों की असुरक्षा बढ़ा दी है जिनके परिवारों को पहले से ही आजीविका के नुकसान का खतरा है। इस प्रकार महामारी ने परिवारों की वित्तीय स्थिति खराब कर दी है, जिससे बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी और यौन शोषण और वाणिज्यिक शोषण का खतरा बढ़ गया है।



## चरण 5: अब बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभाव पर चर्चा करें

लॉकडाउन के दौरान हुई घटनाओं ने बाल संरक्षण संबंधी चिंताओं को और सामने लाया।

- ♦ 20 मार्च से 31 मार्च 2020 के दौरान चाईल्ड-लाईन को 92,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई जिसमें दुर्व्यवहार एवं हिंसा से संरक्षण की मांग की गई थी।
- ♦ लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से हेल्पलाईन पर कॉल की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। लगभग 8 प्रतिशत अन्य कॉल के साथ 3.07 लाख कॉल प्राप्त हुई जो बाल मजदूरी से संबंधित थीं, अन्य 8 प्रतिशत खोए या भागे हुए बच्चों के बारे में थी। शारीरिक, लैंगिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार का खतरा, बच्चों पर कोविड-19 के साथ-साथ मंडरा रहा है।

चाईल्ड लाईन को कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में 5,584 फोन कॉल बाल विवाह रोकने के लिए प्राप्त हुए।

यूनिसेफ के अनुसार भारत में घरेलू हिंसा का सामना करने वाले बच्चों की संख्या 2 करोड़ 71 लाख से 6 करोड़ 90 लाख तक है।<sup>6</sup>

<sup>3</sup> <https://www.savethechildren.net/news/india-covid-19-survey-eight-ten-households-are-struggling-meet-their-daily-expenses-warns-save>

<sup>4</sup> Child Protection during COVID 19: Threat Of Trafficking Of Children, RSLSA, UNICEF

<sup>5</sup> Child Protection during COVID 19: Threat Of Trafficking Of Children, RSLSA, UNICEF

<sup>6</sup> <https://feminismindia.com/2020/04/15/children-covid-19-lockdown-abusive-households-street-children/>

# वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण से जुड़े खतरे



## चरण 1

प्रतिभागियों के साथ साझा करें कि अब हम उन जोखिमों के बारे में जानेंगे जिनका सामना बच्चों को महामारी के दौरान करना पड़ सकता है।

साझा करें कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारियां बच्चों के लिए अनेकों जोखिम उत्पन्न कर देती हैं। इनमें से कुछ को इस वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान देखा गया है और इनमें से कुछ संभावित जोखिम हैं जिन्हें पूर्व में संक्रामक रोगों के फैलने के दौरान देखा गया है।

### कोविड-19 द्वारा उत्पन्न खतरे

- ♦ शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार
- ♦ लिंग आधारित हिंसा
- ♦ मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक खतरा
- ♦ बाल श्रम
- ♦ बाल तस्करी
- ♦ एकाकी बच्चे एवं अलग किए गए बच्चे
- ♦ सामाजिक बहिष्कार



**फैसिलिटेटर के लिए नोट:** उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करें।

### 1. शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार

आर्थिक संकट तथा मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण माता-पिता अपने बच्चों की खुशहाली सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। यह इन रूपों में परिलक्षित हो सकता है:

- ♦ बच्चों के पर्यवेक्षण में कमी तथा उनकी उपेक्षा।
- ♦ बाल दुर्व्यवहार तथा घरेलू/आपसी हिंसा में बढ़ोतरी।
- ♦ वयस्कों की अनुपस्थिति तथा देखरेख न होने पर बच्चों के जहर खाने और अन्य खतरे तथा जख्मी होने का जोखिम।
- ♦ बाल संरक्षण सेवाओं पर दबाव या उन तक पहुंच में कमी।





आईए अब शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के पीछे के विशिष्ट कारणों को देखें

- ♦ बाल देखरेख सुविधाओं/स्कूलों का बन्द होना, देखरेख करने वालों पर लगातार कार्य करने का दबाव, बीमारी, देखरेख करने वालों का क्वारन्टाईन/आईसोलेशन में रहना।
- ♦ देखरेख करने वालों तथा समुदाय के सदस्यों में मनोसामाजिक संकट।
- ♦ निस्संक्रामक द्रव्यों तथा अल्कोहल की उपलब्धता तथा दुरुपयोग।
- ♦ घटनाओं की रिपोर्ट देने में बढ़ी हुई बाधाएं।

## 2. हिंसा: विशेष रूप से सामाजिक लिंग-आधारित हिंसा (Gender-based violence)

- ♦ यौन दुर्व्यवहार के जोखिम में वृद्धि, जिसमें ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना भी शामिल हैं।
- ♦ बच्चों के यौन शोषण के जोखिम में वृद्धि, जिसमें सहायता करने के बदले में यौन संबंध बनाना, बच्चों का व्यावसायिक यौन शोषण तथा जबरदस्ती बाल विवाह शामिल है।
- ♦ बाल सुरक्षा या सामाजिक लिंग आधारित हिंसा से जुड़ी सेवाओं पर दबाव या उन तक पहुंच में कमी।



आईए अब देखें कि कोविड-19 के दौरान सामाजिक लिंग आधारित हिंसा के क्या कारण हैं:

- ♦ बच्चों के पारिवारिक संरक्षण में कमी आना।
- ♦ पारिवारिक आय/या बाहरी लोगों पर, सामान या सेवाएं पहुंचाने के लिए आश्रित होना।
- ♦ लड़कियों पर सामाजिक लिंग द्वारा थोपी गई घरेलू जिम्मेदारियां जैसे परिवार के लोगों की देखभाल करना या घरेलू काम करना।
- ♦ घटनाओं की रिपोर्ट देने, या चिकित्सीय उपचार लेने या अन्य सहायता लेने में बढ़ी हुई बाधाएं।

## 3. मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक संकट:

- ♦ किसी प्रियजन की मृत्यु, बीमारी या अलग होने से या बीमारी से भय का संकट।
- ♦ पहले से खराब मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का और बिगड़ना।
- ♦ मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहायता सेवाओं पर दबाव या पहुंच में कमी।

जोखिमों के कारण क्या हैं?

- ♦ उपचार इकाइयों में अलग रखने या गृह आधारित क्वारन्टाईन होने के कारण तनाव के स्तर का बढ़ना।
- ♦ बच्चे या उनके माता-पिता या देखरेखकर्ता जिन्हें पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, अपना नियमित उपचार या सहायता नहीं ले सकते हैं।
- ♦ क्वारन्टाईन में रखे जाने से समुदाय में डर और घबराहट पैदा हो सकती है, खास तौर से बच्चों में, अगर वे यह न समझ पाएं कि यह सब क्या हो रहा है।



#### 4. बाल श्रम

- ♦ खतरनाक या शोषण युक्त श्रम में बच्चों की भागीदारी में वृद्धि।

हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बाल श्रम के मुख्य कारण हैं:

- ♦ घरेलू आमदनी में क्षति या कमी।
- ♦ स्कूल बन्द होने के कारण कार्य करने का अवसर या अपेक्षाएं।



#### 5. बाल तस्करी

- ♦ बाल श्रम/बंधुआ मजदूरी हेतु बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि।
- ♦ व्यावसायिक यौन शोषण हेतु बाल तस्करी की घटनाओं में वृद्धि।

जोखिम के कारण

- ♦ वैश्विक महामारी के दौरान संसाधनों की कमी के कारण गुमशुदा बच्चों को ढूँढने में बाधा।
- ♦ मानव तस्करी के मामलों से संबंधित सरकारी विभागों/पुलिस विभाग का काम ठप्प हो जाना।
- ♦ न्यायालयों में चल रहे मामलों के फॉलोअप में बाधा।



#### 6. अकेले और बिछड़े बच्चे

हम जानते हैं कि बिना साथ या सहारे के एवं माता-पिता या देखभालकर्ता से अलग रहने वाले बच्चे किसी भी वैश्विक महामारी के दौरान जोखिम के लिए सबसे नाजुक होते हैं क्योंकि:

- ♦ अलगाव: देखभालकर्ता के क्वारन्टाईन/आईसोलेशन में रखे जाने के रूप फलस्वरूप बच्चे अपने देखभालकर्ता से अलग हो सकते हैं।
- ♦ बिना साथ के होना या घर का मुखिया बच्चा होना।
- ♦ संस्थान में रखा जाना।

आईए अब हम जानें कि ऐसे बच्चों के जोखिमों के प्रति नाजुक होने के क्या कारण हैं

- ♦ बीमारी के कारण माता-पिता या देखरेखकर्ता की मृत्यु।
- ♦ क्वारन्टाईन/आईसोलेशन के कारण देखरेखकर्ता का बच्चे/बच्चों से अलग रहना।
- ♦ माता-पिता द्वारा बच्चों को किसी दूसरे परिवार के सदस्यों के पास उन क्षेत्रों में भेज देना जहां संक्रमण नहीं है।



#### 7. सामाजिक निष्कासन

सामाजिक निष्कासन लोगों के प्रति भेदभाव उत्पन्न करता है और उन्हें अवसरों, विकल्पों के चयन तथा गरिमा से वंचित रखता है।



### कोविड-19 के दौरान, सामाजिक निष्कासन कैसे एक बाल संरक्षण जोखिम है?

- ♦ संक्रमित व्यक्तियों या संक्रमित होने के संदेह वाले व्यक्तियों या समूह पर सामाजिक लांछन लगाना।
- ♦ जो बच्चे सड़कों पर जीवन यापन करते हैं या कार्य करते हैं, अन्य बच्चे जो पहले से ही जोखिम में हैं और जो बच्चे संस्थानों में रह रहे हैं उनके जोखिम में वृद्धि तथा सहायता में कमी आती है।
- ♦ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों, जिनमें निरुद्ध किए गए बच्चे भी शामिल हैं, के जोखिम में वृद्धि तथा सहायता में कमी होना।

### आईए अब यह समझें कि सामाजिक निष्कासन के जोखिमों के क्या कारण हैं?

- ♦ संक्रमित होने के संदेह में आने वाले व्यक्तियों या समूहों का सामाजिक या जातीय भेदभाव।
- ♦ हाशिए पर रहने वाले और अत्यधिक वंचित समूहों पर अधिक असर
- ♦ कमजोर और जोखिमग्रस्त बच्चों एवं परिवारों को मूलभूत सेवाओं की मनाही या पहुंच में कमी।<sup>7</sup>

### 8. यौन कर्मियों के बच्चे:

यौन कर्मियों के बच्चे सबसे कमजोर तथा जोखिमग्रस्त और अदृश्य हैं। चूंकि उनके माता-पिता जीविकाविहीन हैं और लांछन तथा भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उस स्थिति में वे कुपोषण, यौन व्यापार में जबरदस्ती धकेले जाने, शोषण तथा मानव तस्करी के हाथों दुर्व्यवहार के अधिक जोखिम में हैं।<sup>8</sup>



## गतिविधि 2: केस स्टोरी और चर्चा



### चरण 2: केस स्टोरी पढ़ें और प्रतिभागियों से उससे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए कहें।

काजल, 14 वर्ष की एक लड़की, राजस्थान के एक सुदूर गांव की रहने वाली है। काजल, उसका छोटा भाई तथा पिता एक छोटे से घर में रहते हैं। आर्थिक कठिनाईयों के बावजूद उसके पिता ने उसे पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। लॉकडाउन के दौरान उसके पिता एक मोबाईल खरीद कर लाए ताकि काजल अपनी ऑनलाईन क्लास से जुड़ सके। उसके पिता कठिन परिश्रम करते थे और अपने काम में तल्लीन रहते थे। धीरे-धीरे काजल ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह एक पुरुष के सम्पर्क में आई और उससे बात करना पसन्द करने लगी। जब लॉकडाउन में छूट मिलने लगी, वे किसी नजदीकी स्थान पर मिलने लगे। एक दिन वह लापता हो गयी। उसके पिता को इस बात का बहुत सदमा लगा और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। वह कुछ अन्य बच्चों के साथ मुम्बई से एंटी ट्रेफिकिंग पुलिस यूनिट और रेलवे चार्ज्ड-लाईन की सहायता से मुक्त कराई गई। उन्होंने पाया कि वह जिस आदमी से बात कर रही थी वह आदमी मानव तस्करी करने वाले गैंग का ही एक सदस्य है। कुछ दिनों के लिए उसे एक बाल-गृह में प्रवेश दिला दिया गया, जहां वो सदम से उबर सके जो वह तस्करी का शिकार होने के बाद से झेल रही थी। दो दिनों बाद किशोर न्याय अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया।

<sup>7</sup> Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1), The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action

<sup>8</sup> <https://www.thehindu.com/opinion/open-page/covid-19-and-children/article32124061.ece>

## प्रश्न

1. काजल के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से संबंधित क्या गलत था?
2. काजल को मुक्त कराने में कौन से कर्मी शामिल थे?
3. क्या आप सोचते हैं कि काजल की तस्करी के जोखिम में कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन की भूमिका थी?



## चरण 3: बच्चों की ऑनलाईन सुरक्षा सुनिश्चित करना

चर्चा करें कि उपरोक्त कहानी में हमने देखा कि काजल की तस्करी इसलिए की गई क्योंकि उसने ऑनलाइन एक अजनबी से दोस्ती की थी। लॉकडाउन के दौरान टेकनॉलजी के बढ़ते उपयोग से ऑनलाइन दुरुपयोग के जोखिम बढ़ रहे हैं। इस प्रकार, ऑनलाइन सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बाल संरक्षण मुद्दा है।

- ♦ बच्चों तथा उनके माता-पिता का संवेदीकरण करना, खास तौर से ऑनलाईन सुरक्षा के विषय पर आवश्यक है।
- ♦ प्रत्येक स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।



### ऑनलाईन सुरक्षित रहने के लिए पांच स्वर्णिम नियम:

- ♦ आप जिस व्यक्ति से बात करने में सहज नहीं महसूस करते उसे ब्लॉक कर दें।
- ♦ अपरिचितों के दोस्ती के प्रस्ताव स्वीकार न करें।
- ♦ अगर कोई ई-मेल संदेहास्पद दिखता है तो सबसे अच्छा यही है कि उसे डिलीट कर दें या जंक के रूप में मार्क कर दें।
- ♦ पासवर्ड सार्वजनिक नहीं होते; अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।
- ♦ किसी सार्वजनिक कम्प्यूटर को इस्तेमाल करने के बाद लॉग आउट करना न भूलें।<sup>9</sup>



## चरण 4

कोविड-19 के दौरान बच्चों की रक्षा के लिए कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के आह्वाहन पर वीडियो दिखाकर संक्षेप में चर्चा करें।

[https://www.youtube.com/watch?v=kp\\_Cwr3A4zI](https://www.youtube.com/watch?v=kp_Cwr3A4zI)

<sup>9</sup> Child Protection during COVID 19: THREAT OF TRAFFICKING OF CHILDREN, RLSA, UNICEF

# वैश्विक महामारी के दौरान बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों की भूमिका



## सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत तक आप यह बताने में सक्षम होंगे कि बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों के द्वारा क्या भूमिका निभायी जाएगी। इसमें शामिल हैं:

- ♦ पुलिस
- ♦ किशोर न्याय बोर्ड
- ♦ बाल कल्याण समिति
- ♦ बाल देखरेख संस्थान
- ♦ ज़िला प्रशासन
- ♦ स्थानीय शासन निकाय (पंचायत)



## चरण 1

प्रतिभागियों को बताएं कि इस सत्र में हम बाल संरक्षण पर कार्य करने वालों (पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल देखरेख संस्थान, ज़िला प्रशासन, स्थानीय शासन निकाय (पंचायत)) की वैश्विक महामारी के दौरान भूमिका पर चर्चा करेंगे।



## चरण 2

महामारी के दौरान बच्चों की सुरक्षा के बारे में प्रतिभागियों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं को साझा करें:

- ♦ हम पहले से ही यह जानते हैं कि किशोर न्याय तंत्र के तहत देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल), मिशन वात्सल्य के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- ♦ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को अधिदिष्ट किया गया है कि सभी बच्चों के अधिकारों का अनुश्रवण करें, खासकर उन बच्चों के जो वंचित तथा कमजोर समुदायों से हैं।
- ♦ प्रवासी श्रमिकों, सड़कों पर जीवन यापन करने वालों के बच्चों तथा किशोर न्याय तंत्र के तहत संचालित संस्थानों में रहने वाले बच्चों और आवासीय स्कूलों में रहने वाले बच्चों के लिए एनसीपीसीआर द्वारा दिशानिर्देश जारी किया जा चुका है।
- ♦ इन दिशानिर्देशों को आप दिए गए लिंक पर देख सकते हैं 'प्रवासी श्रमिकों के साथ घुमन्तु बच्चों, सड़कों पर जीवन यापन करने वाले तथा संस्थानों में रहने वाले बच्चों की, कोविड-19 के प्रकाश में



देखरेख और संरक्षण के लिए एनसीपीसीआर एडवाइजरी'। [https://drive.google.com/file/d/1ZWkz3M8kSbEeUek0y7vw\\_fzjSzF7U8Rc/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1ZWkz3M8kSbEeUek0y7vw_fzjSzF7U8Rc/view?usp=sharing)

- ♦ **एनसीपीसीआर की एडवाइजरी में परिशिष्ट:** कोविड-19 के आलोक में प्रवासी परिवारों, सड़कों पर रहने वाले बच्चों/बाल देखरेख संस्थानों के साथ जाने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के संबंध में एडवाइजरी। [https://drive.google.com/file/d/1OeNP18KWFPKjv\\_A2SEOI2hpjxiu0IP-D/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1OeNP18KWFPKjv_A2SEOI2hpjxiu0IP-D/view?usp=sharing)
- ♦ **एनसीपीसीआर ने एक मानक कार्य पद्धति (एसओपी) भी जारी की है** जो "सड़कों जैसे हालत में रहने वाले बच्चों को मुक्त कराना, देखरेख और संरक्षण" के विषय पर है। [https://drive.google.com/file/d/14\\_ZSOZyWEI4sqF8iEzX4NbaArqv0EvCn/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/14_ZSOZyWEI4sqF8iEzX4NbaArqv0EvCn/view?usp=sharing)
- ♦ बाल देखरेख संस्थानों, आश्रय गृहों, तथा पर्यवेक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए उच्चतम न्यायालय से दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। [https://drive.google.com/file/d/1Ub8uMh1rfgiiZbi\\_JnLC9FPlcN7Tw2EX/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Ub8uMh1rfgiiZbi_JnLC9FPlcN7Tw2EX/view?usp=sharing)
- ♦ मिशन वात्सल्य सिविल सोसायटी संस्थाओं के साथ मिलकर इन कमजोर तथा वंचित समूहों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं।<sup>10</sup>
- ♦ सड़कों से जुड़े बच्चों की सुरक्षा के संबंध में एनसीपीसीआर द्वारा जारी की गयी मानक कार्य पद्धति, मुख्य दस्तावेजों में से एक है।
- ♦ यह सड़कों की स्थिति में रहने वाले बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए, विभिन्न कानूनी तंत्र के प्रयोग, विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले प्रावधानों और बच्चों के लिए सफलतापूर्वक पुनर्वास चाहे वह संस्थागत देखरेख के द्वारा हो या विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों द्वारा हो या विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों द्वारा प्रदत्त लाभों को परिवारों तक पहुंचाकर, उन्हें सशक्त करके, परिवार आधारित देखरेख के द्वारा हो, एक रूपरेखा प्रदान करती है।<sup>11</sup>



### चरण 3: पुलिस की भूमिका

बाल संरक्षण में पुलिस को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। आईए इस बात को समझा जाए कि वैश्विक महामारी के दौरान पुलिस की क्या भूमिकाएं हैं।

- ♦ सड़क की स्थिति में रहने वाले बच्चों, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों और एकाकी किशोर श्रमिकों को मुक्त कराना और उनका पुनर्वास कराना।
- ♦ क्वारन्टाईन शिविरों के मामले में, पुलिस को इन शिविरों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित कराना चाहिए।
- ♦ कोविड-19 से संक्रमित बच्चों और क्वारन्टाईन या अकेले रहने के दौरान बच्चों की सुरक्षा।
- ♦ कोविड-19 के दौरान हिंसा की रोकथाम।
- ♦ चाईल्ड लाईन सेवाओं की जानकारी और कमजोर तथा वंचित बच्चों को मनो-सामाजिक सहयोग।
- ♦ कोविड-19 के सन्दर्भ में दिनांक 3 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी बाल संरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन कराना।



<sup>10</sup> <https://www.cry.org/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19-Its->

<sup>11</sup> <https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=2005&lid=1915>



बच्चों पर बढ़े हुए प्रभावों को कम करने में पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे:

- ♦ खो गए या एकाकी बच्चे की पहचान तथा सहायता करना
- ♦ हिंसा की रोकथाम और प्रतिक्रिया
- ♦ बाल श्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह की रोकथाम करना<sup>12</sup>

इसके अतिरिक्त इन बच्चों की स्थिति का अनुश्रवण विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के प्रमुख तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) द्वारा किया जाएगा और जारी रखा जाएगा।



## चरण 4: आईए अब चर्चा करें कि बाल संरक्षण तंत्र के प्रत्येक कर्म की वैश्विक महामारी के दौरान क्या भूमिका है

### 1. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की भूमिका

- ♦ किसी विशेष जिले में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बाल देखरेख संस्थान न होने या उपलब्ध संस्थान में जगह न होने की स्थिति में, डीसीपीयू को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां की बाल कल्याण समिति किसी उपयुक्त सुविधा को, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत चिन्हित करे जो अस्थायी तौर पर प्रवासी मजदूरों के साथ घूमने वाले बच्चों या सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों की जिम्मेदारी ले।<sup>13</sup>
- ♦ जिला प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चाइल्ड लाईन 24\*7 सक्रिय रहे ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सहायता दे सके।<sup>14</sup>
- ♦ जो बच्चे पहले से ही बाल देखरेख संस्थानों में, सरकार की देखरेख और संरक्षण में रखे गए हैं उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इसके लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, जैसे:
  - क. सुनिश्चित करें कि कर्मियों को नियमित रूप से संवेदित किया जा रहा है और उपायों की अद्यतन जानकारी दी जा रही है जिससे कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम की जा सके।
  - ख. बाल देखरेख संस्थानों के कर्मियों तथा वहां रहने वाले बच्चों को शारीरिक दूरी बनाकर रहने तथा कमरे के अन्दर रहने के महत्व को बार-बार बताना।
  - ग. दानदाताओं को परिसर में अन्दर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रवेश द्वार के नजदीक एक अलग काउन्टर बनाया जा सकता है जहां दान लिया जा सकता है। दान दाताओं से पके खाने के स्थान पर सूखा राशन या बिना पकी हुई खाद्य सामग्री देने के लिए निवेदन किया जा सकता है।



<sup>12</sup> Child Protection during COVID 19: THREAT OF TRAFFICKING OF CHILDREN, RLSA, UNICEF

<sup>13</sup> <https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904>

<sup>14</sup> <https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904>

- घ. बाल देखरेख संस्थानों को शैक्षणिक तथा मनोरंजन की सामग्रियों से युक्त बनाया जा सकता है।
- ड.. सामाजिक खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए अगर जरूरत हो तो कर्मियों तथा बच्चों को चिकित्सीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं।
- च. सभी बाल देखरेख संस्थानों तथा जहां बच्चे निवास करते हैं उन प्रत्येक स्थानों पर एचआईवी/एड्स की दवाईयां तथा चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- छ. अगर बाल देखरेख संस्थान के फण्ड का आवंटन लंबित है तो इसमें तेजी लानी चाहिए और जल्द से जल्द फण्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

## 2. ज़िला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:

- ♦ कोविड-19 के जोखिम को देखते हुए, हॉस्टल/मदरसा/सरकारी तथा प्राइवेट आवासीय संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे वहां रहने वाले बच्चों की देखरेख करें। कोई भी संस्था इन बच्चों को हॉस्टल/मदरसा/आवासीय संस्थान खाली करने के लिए नहीं कह सकती।
- ♦ वहां इन बच्चों को मूलभूत सुविधाओं जैसे- भोजन, पानी, चिकित्सीय सहायता, स्वच्छता आदि की कमी नहीं होनी चाहिए।
- ♦ अगर इन संस्थानों को फण्ड का आवंटन रुका है तो उसमें तेजी लाकर, जल्द से जल्द फण्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ♦ इन संस्थानों में मुआयना करने तथा किसी प्रकार की कमी या सुरक्षा का मुद्दा होने पर रिपोर्ट देने के लिए चाइल्ड लाईन से सहायता प्राप्त की जा सकती है।<sup>15</sup>

## 3. विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) की भूमिका

कोविड-19 के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की सुरक्षा में एसजेपीयू की मुख्य भूमिका है। कानून का उल्लंघन करने वाले जो बच्चे पर्यवेक्षण गृहों तथा विशेष गृहों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एसजेपीयू को उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

हम सड़क पर रहने वाले बच्चों के जोखिमों को जानते हैं। ये बच्चे या तो अनाथ या परित्यक्त, खोये हुए या भागे हुए हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं या ऐसे परिवार के साथ रहते हैं जिनका कोई आश्रय स्थल नहीं है। कोविड-19 के दौरान ऐसे बच्चों के साथ हिंसा तथा दुर्यवहार होने की संभावना अधिक हो गई है।

इसलिए सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसजेपीयू को विशेष कदम उठाने चाहिए। पिछले सत्रों में हमने एसजेपीयू के तहत, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) के विशिष्ट उत्तरदायित्वों के बारे में जाना है। कोविड-19 के दौरान भी सीडब्ल्यूपीओ द्वारा इन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। आईए देखें कि यह भूमिकाएं क्या हैं।

<sup>15</sup> <https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1982&lid=1903>

#### 4. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) की भूमिका

हम पहले से ही यह जानते हैं कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, एसजेपीयू में बाल संरक्षण के मामले में मुख्य अधिकारी हैं। आईए कोविड-19 के दौरान सीडब्ल्यूपीओ की भूमिका को जानें।



- यह जानने के लिए कि आपके क्षेत्र में संरक्षण और देखरेख का जरूरतमंद कोई बच्चा है, क्षेत्र की नियमित निगरानी करें। चार्डललाईन से ऐसे बच्चों को चिन्हित करने तथा आगे की कार्रवाई के लिए मामले को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के संज्ञान में लाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
- प्रत्येक बच्चे का विवरण जैसे नाम, उम्र, लिंग, मूल स्थान, एकल या परिवार के साथ आदि, जब भी ऐसा बच्चा मिलता है तो दर्ज करें।
- ऐसे बच्चों के विवरण को संबंधित बाल कल्याण समिति के पास भेजें।
- प्रारम्भिक जांच तथा बातचीत के बाद, अगर बच्चा अकेला है तो उसे बाल देखरेख संस्थान या उपयुक्त सुविधा में अस्थायी रूप से सम्बन्धित बाल कल्याण समिति का अनुमोदन लेकर रखें।
- अगर बच्चा परिवार के साथ है तो राज्य द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की नजर में जो उचित तरीका हो, उसके अनुसार बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए परिवार को आश्रय स्थल दिलाने का पर्याप्त प्रयास किया जाना चाहिए।
- परिवार के साथ रहने वाले बच्चों के मामले में बच्चों के लिए पर्याप्त आहार और शिशुओं के लिए उपयुक्त आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चे की चिकित्सीय जांच करने के लिए व्यवस्था बनाएं।
- कोविड-19 का कोई भी लक्षण होने पर या चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता वाली कोई भी स्थिति वाला मामला चिन्हित होने पर, नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा में सम्पर्क करें। ऐसे मामलों में सहायता के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है।
- वर्तमान परिस्थितियों में अगर बाल कल्याण समिति की बैठकें होनी संभव नहीं हैं, तो प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चे या बच्चों के विवरण को उनके फोटोग्राफ (जिसे सीडब्ल्यूपीओ ने अपने मोबाईल से खींचा है) को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के साथ साझा कर सकते हैं और तब समिति बच्चे को उपयुक्त स्थान पर अस्थायी पुनर्वास का अनुमोदन कर सकती है।
- जब भी कोई बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किसी देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे या बच्चों को, उन्हें मुक्त कराने, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने या किसी अन्य मामले में जो बच्चे या बच्चों के पुनर्वास या प्रत्यावर्तन से संबंधित हो, उनके सम्पर्क में आते हैं तब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी नियमों का पालन, कमजोर तथा वंचित बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सख्ती से किया जाना चाहिए।

## 5. किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका

- ◆ कोविड-19 के आलोक में बच्चों की जांच या निरीक्षण के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर सक्रियता से विचार करें।
- ◆ ऑनलाईन या वीडियो सत्र का आयोजन किया जा सकता है।
- ◆ किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय ऐसे कदमों पर विचार कर सकते हैं जो पर्यवेक्षण गृहों, विशेष गृहों तथा सुरक्षित स्थान में रहने वाले बच्चों को कोविड-19 के कारण उत्पन्न जोखिमों से बचा सकते हैं।



इसलिए किशोर न्याय बोर्ड को सक्रियता से यह विचार करना चाहिए कि बच्चे के सर्वोत्तम हित, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए क्या बच्चों को बाल देखरेख संस्थान में रखना चाहिए।

इसके अन्तर्गत शामिल हैं:

- ◆ अगर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 को लागू करने के स्पष्ट कारण न हों तो पर्यवेक्षण गृहों में सभी बच्चों को जमानत पर छोड़ने का विचार करना।
- ◆ मामलों के शीघ्र निस्तारण और सम्पर्क से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाईन बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
- ◆ सुनिश्चित करें कि पर्यवेक्षण गृहों के सभी बच्चों को परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं।
- ◆ पर्यवेक्षण गृहों की स्थिति का नियमित रूप से अनुश्रवण करें।

## 6. कोविड-19 के दौरान बाल कल्याण समिति की भूमिका

- ◆ कोविड-19 के आलोक में, उन चरणों पर सक्रियता से विचार करना जो बच्चों की जांच या निरीक्षण करते समय उठाने हैं और यह भी विचार करना है कि बच्चे/बच्चों के सर्वोत्तम हित, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें बाल देखरेख संस्थान में रखा जाना चाहिए।
- ◆ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान के न होने पर या उपलब्ध संस्थानों में जगह न होने पर समिति को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत उपयुक्त सुविधा की पहचान करनी है जो अस्थायी रूप से बच्चों की जिम्मेदारी ले सके।
- ◆ इसके लिए नजदीकी स्कूल की इमारत और/या निजी स्कूल और/या पंजीकृत गैर सरकारी संस्था द्वारा चलायी जा रही अन्य सुविधाओं या सामुदायिक केन्द्रों को इन बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधा में बदला जा सकता है।
- ◆ जहां पर बाल कल्याण समिति की बैठक संभव नहीं है तो इसे ऑनलाईन तरीकों जैसे वीडियो कॉल या वॉट्सैप आदि के द्वारा किया जा सकता है।
- ◆ एक बालिका के मामले में, उसे केवल बालिकाओं के लिए बने आश्रय या उपयुक्त सुविधा में भेजा जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए।
- ◆ एक बालिका के मामले में जिसकी तस्करी हुई है उसे तात्कालिक राहत जैसे— भोजन, आश्रय, टॉयलेट से जुड़ी सामग्री/स्थान, कपड़े, परामर्श, चिकित्सीय सहायता आदि का इंतजाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उज्ज्वला योजना से अंतरिम समय के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- ♦ इसी प्रकार अगर बच्चा विशेष ज़रूरतों वाला है तो उसे उसी सुविधा में रखा जाना चाहिए जो खास उसी प्रकार के बच्चों के लिए बनी है।
- ♦ एक बार जब लॉकडाउन समाप्त हो जाता है और स्थितियां फिर से सामान्य हो जाती हैं तब बच्चों को, उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे के आदेश के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनके पुनर्वास या देश प्रत्यावर्तन, जो भी उपयुक्त हो के लिए होगा। इसलिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्येक बच्चे का विवरण और उन्हें कहाँ रखा गया है इसके रिकॉर्ड का सही तरीके से रख-रखाव किया जाना है। इसे नियमित रूप से सीडब्ल्यूसी तथा एसजेपीयू के साथ साझा किया जाना चाहिए।<sup>16</sup>

## 7. कोविड-19 के दौरान बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की भूमिका

- ♦ सीसीआई के प्रभारी और सीसीआई में कार्य करने वाले कर्मियों को सक्रियता से और तत्परता से वह हर अनिवार्य कदम उठाने चाहिए जो बच्चों को कोविड-19 के खतरे से सुरक्षित रखे। यह जेजे ऐक्ट, 2015 में शामिल सुरक्षा के मूल सिद्धान्तों का अनुपालन होगा।



- ♦ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए एक नयी राष्ट्रीय हेल्प लाईन शुरू की है जिसका नं. है 1075

और 1800112545। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से जुड़ी हुई किसी भी शंकाओं या स्पष्टीकरण के लिए इन नंबरों पर कॉल करें इसके अतिरिक्त **चाईल्ड लाईन का नं. 1098** सक्रियता के साथ जारी रहेगा।

- ♦ अगर किसी कर्मि या बच्चे में लक्षण है, तब ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें या स्थानीय डॉक्टर को बुलाएं। अस्पताल तभी जाएं जब डॉक्टर या हेल्पलाइन नं. ने सलाह दी हो या लक्षण गंभीर हों।
- ♦ कर्मि या अन्य किसी सदस्य में कोविड-19 के लक्षण दिखने के बाद उन्हें बाल देखरेख गृह में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।
- ♦ सीसीआई द्वारा शारीरिक दूरी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शारीरिक दूरी के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। <https://www.mohfw.gov.in/pdf/SocialDistancingAdvisorybyMOHFW.pdf>
- ♦ सीसीआई द्वारा साफ पानी और साबुन से बार-बार हाथ धोना, एल्कोहल रब/हैंड सेनेटाईजर या क्लोरीन के तरल तथा कम से कम रोज एक बार विसंक्रमित करने का कार्य सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विभिन्न सतहों की सफाई, जिसमें रसोईघर तथा बाथरूम भी शामिल है, रोज की जानी चाहिए।
- ♦ जहां पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, इसके संबंध में तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों में कथित उद्देश्य के लिए बजट की व्यवस्था करना भी शामिल है।
- ♦ बाल देखरेख संस्थान को, उपयुक्त मात्रा में पानी, स्वच्छता, विसंक्रमित करने वाले पदार्थ तथा कचरा प्रबंधन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए तथा वातावरण की स्वच्छता एवं साफ-सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

<sup>16</sup> <https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904>

## बाल देखरेख संस्थानों के लिए कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय



### सत्र के उद्देश्य

सत्र के अंत में, प्रतिभागी सीसीआई में कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के उपायों का वर्णन करने में सक्षम होंगे, जिसमें स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य रेफरल प्रणाली, क्वारन्टाईन सुविधा और आपातकालीन स्थितियों को संभालना शामिल है।



### चरण 1

प्रतिभागियों के साथ साझा करें कि सीसीआई को कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए निम्नलिखित का संचालन करना चाहिए।

1. नियमित स्क्रीनिंग जारी रखें
2. स्वास्थ्य सन्दर्भन तंत्र का पालन किया जाए:
  - ♦ जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि अगर कोई बच्चा, कर्म या सीसीआई में कार्य करने वाला कोई सेवा प्रदाता बीमार दिखता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का सीसीआई को तुरन्त पालन करना चाहिए।
  - ♦ जब किसी भी बच्चे या कर्म को कोविड-19 का संक्रमण होने की आशंका हो तो पहला कदम है सीसीआई से जुड़े नर्स या डॉक्टर को जल्द से जल्द सूचित करना।
  - ♦ सीसीआई ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नं. पर कॉल कर सकती हैं या किसी स्थानीय डॉक्टर से सम्पर्क कर सकती है।
  - ♦ संक्रमित बच्चे या लोगों को तब अस्पताल जाना चाहिए जब डॉक्टर ने सलाह दी हो या लक्षण गंभीर हों।
3. क्वारन्टाईन
 

लक्षण उत्पन्न होने के बाद, ऐसे बच्चों के लिए सीसीआई में एक क्वारन्टाईन या अलग किया हुआ स्थान (जहां सम्भव हो) होना चाहिए। जहां क्वारन्टाईन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां के लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. आपातकालीन स्थितियों के लिए अग्रिम योजना बनाना
 

सीसीआई के प्रभारी अधिकारी को, संस्थान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों से मिलकर पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न किसी भी आपातकाल में क्या करना है।





इसमें शामिल होगा:

- आपातकालीन सम्पर्क सूची को अपडेट करना
- बिना किसी दोषरोपण के बीमार बच्चों तथा कर्मियों को स्वस्थ बच्चों तथा कर्मियों से अलग करना।
- माता-पिता या देखरेखकर्ता को सूचित करने तथा जहां भी सम्भव हो स्वास्थ्य पदाधिकारियों से सलाह लेने, बच्चों या स्टाफ को सीधे स्वास्थ्य सुविधा में हालात या परिस्थिति के आधार पर भेजने की ज़रूरत है या नहीं, या घर भेजने का कार्य सीडब्ल्यूसी, जेजेबी या बाल न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया के बारे में कर्मियों, माता-पिता तथा बच्चों को समय से पहले ही बताया जाएगा।
- आईए बाल संरक्षण कर्मियों की भूमिकाओं के बारे में एक गतिविधि द्वारा और समझें।



## गतिविधि 3



### चरण 1

प्रतिभागियों को दो या तीन समूहों में विभाजित करें और दी गई केस स्टोरी की प्रतियां प्रत्येक समूह को वितरित करें। समूह के सदस्यों को मामले की कहानी पढ़ने और मंथन करने के लिए निर्देश दें कि वे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर ढूंढ़ें।

13 वर्ष की उम्र का एक बच्चा अमन सड़कों से जुड़ा हुआ बच्चा है जो फिलहाल दिल्ली में एक बाल देखरेख संस्थान में रहता है। उसके माता-पिता प्रवासी श्रमिक हैं। लॉकडाउन के दौरान उसे एक बाल गृह में रखा गया जिसे एक संस्था चलाती है। एक दिन वह बीमार पड़ गया और उसमें कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न हो गए। उसे एक अलग कमरे में अकेले रख दिया गया। केयर टेकर ने उसे हर प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों से अलग कर दिया। उसे केवल खाना दिया जाता था। संस्थान में रहने वाले उसे लांछित करते थे। अमन ने सबसे बातचीत करना बन्द कर दिया।

एक दिन अमन के माता-पिता उससे मिलने आए। उन्होंने उसे तनाव में पाया। अमन के माता-पिता को मदद की ज़रूरत थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सीडब्ल्यूसी के सदस्य से मिलने तथा उन्हें जानकारी देने में मदद की।

## प्रश्न 1

नीचे दिए चरणों में से कौन से कदम सीडब्ल्यूसी के सदस्य को, अमन की सुरक्षा के लिए उठाने चाहिए?

- क. अमन के माता-पिता से कहना कि कोविड-19 के कारण हम बाल देखरेख संस्थान से बात नहीं कर सकते।
- ख. माता-पिता को कहना कि वे अमन को अपने साथ ले जाएं।
- ग. सीसीआई को फोन से सम्पर्क करना और विवरण मांगना।
- घ. सीसीआई के पक्ष को जानना और कोई कार्यवाही न करना।
- ङ. सीसीआई से जुड़े नर्स या डॉक्टर को बताने के लिए उन्हें कहना।

<sup>17</sup> NCPDR Advisory

- च. सुनिश्चित करना कि बच्चे को चिकित्सीय उपचार मिल जाए।
- छ. सुनिश्चित करना कि सावधानियां बरतने के सभी उपाय लिए जा रहे हैं।
- ज. केयरटेकर को कहना कि अमन को एक साझा कमरे में रखें ताकि वह अकेलापन महसूस न करे।
- झ. अमन के लिए उपयुक्त क्वारन्टाईन की सुविधा, मनो-सामाजिक सहायता के साथ उपलब्ध कराना।
- ञ. बिना कोई कार्यवाही किए अमन को दूसरे बाल देखरेख संस्थान में भेजना।
- ट. घटना की जांच करवाना।

**सही उत्तर:** विकल्प: 'ग', 'ड़', 'च', 'छ',



## चरण 2: यह बताएं कि अब हम स्थानीय निकायों जैसे-पंचायत या नगर-पालिका की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे।

वैश्विक महामारी कोविड-19 को सम्बोधित करने में स्थानीय प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आईए इस बात को विस्तार से समझें कि वैश्विक महामारी के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए वे क्या भूमिका निभा सकते हैं।

- ♦ ऐसे बच्चों के मामले में जिनके परिवार मजदूरी हेतु कुछ अन्तराल पर पलायन करते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, आश्रय एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सुविधाएं (अगर जरूरत पड़े) की पर्याप्त व्यवस्था एवं स्थानीय उपलब्धता, स्थानीय प्रशासन जैसे- पंचायत या नगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे परिवारों की सूची जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार की जानी चाहिए।
- ♦ पूरी प्रक्रिया तथा बच्चे की स्थिति का अनुश्रवण और उसका रखरखाव जिला कलक्टर/मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

<sup>18</sup> <https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=1983&lid=1904>

## बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना तथा लांछन और भेदभाव को सम्बोधित करना



### सत्र के उद्देश्य

इस सत्र में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे:

- ♦ मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहायता क्या है?
- ♦ लांछन तथा भेदभाव क्या है?
- ♦ कोविड-19 के दौरान लांछन और भेदभाव
- ♦ लांछन और भेदभाव को सम्बोधित करना
- ♦ कोविड-19 के दौरान बच्चों को मनोसामाजिक सहायता देने के तरीके



### चरण 1

प्रतिभागियों को सूचित करें कि अब हम कोविड-19 के दौरान मनो-सामाजिक कल्याण पर एक वीडियो देखेंगे। यह हमें कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और इसे संबोधित करने के महत्व को समझने में मदद करेगा। [https://www.youtube.com/watch?v=U\\_WgwbAtpjk](https://www.youtube.com/watch?v=U_WgwbAtpjk)

स्रोत: आईकॉल, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान



### चरण 2

वीडियो दिखाने के बाद, चर्चा करें कि जैसा कि हमने वीडियो में देखा, महामारी न केवल एक शारीरिक स्वास्थ्य का मुद्दा है बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। हम पहले ही मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक संकट के बारे में बाल सुरक्षा जोखिम के रूप में चर्चा कर चुके हैं। आईए इसकी चर्चा विस्तार से करें।



### चरण 3: मानसिक स्वास्थ्य तथा मनो-सामाजिक सहायता क्या है?

चर्चा करें कि 'मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहायता' के इस संयुक्त शब्द का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की स्थानीय या बाहरी सहायता जो मनोसामाजिक खुशहाली की सुरक्षा करती है या बढ़ावा देती है या मानसिक विकारों का उपचार किया जाता है।

कोविड-19 और उससे संबंधित लॉकडाउन ने बच्चों की दयनीयता और जोखिम को बढ़ा दिया है और जोखिमपूर्ण स्थिति में ढकेल दिया है क्योंकि कहीं आने जाने और अपने हमउम्र समूहों, शिक्षकों तथा व्यापक समुदाय से मिलने पर नियंत्रण हो गया है।

<sup>19</sup> <https://emergency.unhcr.org/entry/49304/mental-health-and-psychosocial-support>

स्कूल बन्द होने के कारण बच्चों की शिक्षा तक पहुंच प्रभावित हो रही है और उनका अपने हम उम्र बच्चों के साथ संवाद सीमित हो गया है। ऐसी स्थिति में बच्चे दुविधा में तथा नुकसान में हैं जिसके कारण बच्चों में निराशा और व्यग्रता पनप रही है जो मास मीडिया या सोशल मीडिया से सामना होने पर केवल बढ़ेगी खासकर किशोर उम्र के बच्चों में।

इसके साथ ही, कोविड-19 से संबंधित लांछन के कारण कुछ बच्चों को और दयनीय बना दिया है और उनके साथ हिंसा तथा मनोसामाजिक परेशानी होने की संभावना बढ़ गयी है।



## चरण 4: लांछन और भेदभाव क्या है?

बताएं कि सत्र के दौरान हम लांछन का जिक्र करते रहे हैं। प्रतिभागियों से पूछें कि क्या वे जानते हैं कि लांछन का क्या अर्थ है? उन्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें और सही उत्तर के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दें। फिर आगे विस्तार से चर्चा करें:

- ♦ लांछन, भेदभाव तथा बहिष्कार का मुख्य कारण है। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, उनके पारिवारिक संबंधों को बिगाड़ देता है और सामाजिक बनने, रोजगार तथा आवास पाने में उनकी क्षमताओं को सीमित करता है। मानसिक स्वास्थ्य जटिलताओं को नियंत्रित करने में, मानसिक खुशहाली को बढ़ावा देने और प्रभावी उपचार तथा देखरेख करने में रुकावट डालता है। यह मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा देता है।
- ♦ कोविड-19 के दौरान लांछन
  - स्वास्थ्य के सन्दर्भ में सामाजिक लांछन का तात्पर्य है एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो कुछ खास विशेषताएं साझा करते हैं और जिनका नकारात्मक जुड़ाव किसी विशिष्ट बीमारी से हो। बीमारी के प्रकोप के दौरान लोगों पर लेबल लग जाता है, वे रूढ़िवादिता के शिकार होते हैं, भेदभाव होता है, उनके साथ अलग व्यवहार होता है और/या बीमारी से संभावित जुड़ाव के कारण अपनी प्रतिष्ठा में कमी अनुभव करते हैं।
  - ऐसा बर्ताव बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों, इसके साथ-साथ उनकी देखरेख करने वालों, परिवारों दोस्तों एवं समुदायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
  - उन व्यक्तियों को जिन्हें बीमारी नहीं है किन्तु अन्य गुण इस समूह के समान हैं उन्हें भी लांछन को झेलना पड़ सकता है।
  - वर्तमान कोविड-19 के प्रकोप में लांछन और भेदभाव के व्यवहारों को कुछ संजातीय पृष्ठभूमि के लोगों तथा किसी भी व्यक्ति जिसके संबंध में यह माना जा रहा है कि यह वायरस के सम्पर्क में आया है, उसके प्रति भड़का दिया है।



## चरण 5: कोविड-19 के कारण इतना लांछन क्यों उत्पन्न हो रहा है?

कोविड-19 से जुड़े लांछन का स्तर तीन मुख्य कारकों पर आधारित है:

- ♦ यह एक ऐसी बीमारी है जो नई है और इसके बारे में बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है।
- ♦ हम अक्सर अन्जान चीजों से डर जाते हैं।
- ♦ इस तरह के डर को 'दूसरों से जोड़ना' आसान है। यह समझना ज़रूरी है कि लोगों में दुविधा, बेचैनी और डर है। दुर्भाग्य से यह कारक खतरनाक रूढ़िवादिता को बढ़ाने में ईंधन का काम कर रहे हैं।

<sup>20</sup> <https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-children-heightened-risk-abuse-neglect-exploitation-and-violence-amidst>

<sup>21</sup> <https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/priority-areas/stigma-and-discrimination>

प्रतिभागियों से पूछें कि लांछन का क्या प्रभाव होता है? उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें और संक्षेप में बताएं कि लांछन निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करता है:

- ♦ भेदभाव से बचने के लिए लोगों द्वारा अपनी बीमारी को छिपाना।
- ♦ तुरन्त इलाज के लिए न जाना।
- ♦ स्वस्थ व्यवहारों को अपनाने के लिए हतोत्साहित होना



## चरण 6: कोविड-19 के दौरान लांछन को सम्बोधित करने पर वीडियो को दिखाएं

[https://drive.google.com/file/d/1kwpjge62J30mtDe2XQiT\\_5l15KIB7Z8J/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1kwpjge62J30mtDe2XQiT_5l15KIB7Z8J/view?usp=sharing)

### कोविड-19 के दौरान लांछन तथा भेदभाव को सम्बोधित करना

आईए इस बात को समझें कि लांछन और भेदभाव मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए।



#### क्या करें

- ♦ तथ्यों तथा सकारात्मक एवं सटीक संदेशों से उत्कंठा को दूर करें।
- ♦ गलत सूचनाओं के विरुद्ध बोलें और साझा करने से पहले तथ्यों की दोबारा जांच करें ताकि अफवाहों को रोका जा सके।
- ♦ जो कोविड-19 की बीमारी से ठीक हो चुके हैं उनकी सकारात्मक कहानियां साझा करें।
- ♦ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आवश्यक सेवा प्रदाताओं के प्रयासों की सराहना करें और उन्हें तथा उनके परिवारों की मदद करें।
- ♦ दया, भाईचारा और सहानुभूति को बढ़ावा दें।

### लांछन और भेदभाव से लड़ने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए



#### क्या न करें

- ♦ अफवाहें, भ्रान्ति तथा गलत सूचना फैलाने में शामिल न हों।
- ♦ बीमारी से किसी स्थान या संजातीयता को न जोड़ें और किसी समुदाय या क्षेत्र को कोविड फैलाने वाले का लेबल न लगाएं।
- ♦ ऐसी बातों को किसी व्यक्ति/समूह से जोड़कर बात न करें, क्योंकि इससे जानबूझकर संक्रमण फैलाने का बोध होता है और व्यक्ति/समूह को दोषारोपित करता है।
- ♦ स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आवश्यक सेवा प्रदाताओं को निशाना न बनाएं।
- ♦ भय और दहशत को बढ़ावा न दें।
- ♦ कोविड-19 से संबंधित डर, लांछन और भेदभाव के कारण बच्चों को मनोसामाजिक सहायता देना महत्वपूर्ण है।

<sup>22</sup> <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf>

आईए अब बच्चों के मनोसामाजिक सहयोग देने में माता-पिता या देखभालकर्ता की प्रमुख भूमिकाओं को समझें:

- ♦ एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जहां बच्चे अपनी पूरी क्षमता को विकसित करें, आनन्दित हों तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें।
- ♦ एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां बच्चे सुने जाएं, वे अपनी सोच तथा अनुभूतियां साझा कर सकें और प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों तथा उन्हें ईमानदारी से जवाब दिया जाए।



## चरण 7: चर्चा करें कि बच्चों को तनावपूर्ण घटनाओं का सामना करने के लिए किस प्रकार सहायता दी जाए

- ♦ **सुनकर:** बच्चे जो अनुभव कर रहे हैं उन्हें उसे बताने का मौका दें तथा अपनी चिन्ताओं को बताने तथा प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करें।
- ♦ **सहज बनाना:** बच्चों को सहज तथा शांत बनाने के लिए सरल तरीके अपनाएं। उदाहरण के लिए कहानी सुनाना, उनके साथ गीत गाना और खेल खेलना।
- ♦ **उनकी अक्सर सराहना करना:** उनकी क्षमताओं के लिए जैसे हिम्मत दिखाने, सहायता करने और दया के लिए।
- ♦ यकीन दिलाएं कि आप उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं। मान्य श्रोतों से प्राप्त उन्हें सही जानकारी प्रदान करें।

आईए अब इस बात को समझें कि बच्चों में **मनोवैज्ञानिक संकट को पहचानने के संकेत क्या हैं** जिसके लिए उन्हें विशेष मदद की आवश्यकता होती है।

कुछ बच्चे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों का सामना कर सकते हैं और लक्षण दर्शा सकते हैं, जैसे:

- ♦ खाने और सोने में कठिनाई
- ♦ बुरा सपना देखना
- ♦ सुस्त या उत्तेजित रहना
- ♦ बिना शारीरिक कारण के पेट या सिर दर्द की शिकायत करना
- ♦ डरना, अकेले रहने में भय करना
- ♦ चिपके रहना, आश्रित रहने का व्यवहार
- ♦ नए प्रकार के डर दिखना (जैसे अंधेरे से डरना)
- ♦ खेलने में तथा मनोरंजक गतिविधियों में भागीदारी करने का मन न करना
- ♦ दुखी रहना, बिना किसी स्पष्ट कारण के सामान्य से अधिक रोना

किसी वैश्विक महामारी की स्थिति में बच्चे मनोवैज्ञानिक संकट और तनाव महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता तथा देखरेखकर्ताओं को बच्चों के साथ संचार के तरीके को समझने की आवश्यकता है।

<sup>23</sup> **Psychosocial Support for Children during COVID-19: A Manual for Parents and Caregivers**, UNICEF, CHILDLINE India Foundation





## चरण 8: कोविड-19 के बारे में बच्चों से कैसे बातचीत करें

- ♦ यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक रूप से बात करें और रोकथाम के तरीकों पर बल दें और हाथ धोने के सुरक्षित तरीके को बातचीत में शामिल करें।
- ♦ यह याद रखें कि बातचीत को डरावना या बच्चे के लिए डर का आधार न बनाएं।

### कोविड-19 के दौरान बच्चे तनाव से पार पा सकें इसके लिए उनकी मदद कैसे करें?

- ♦ बच्चे तनाव की प्रतिक्रिया विभिन्न तरीकों से दिखा सकते हैं जैसे— हमेशा किसी से चिपके होकर, बेचैन, सुस्त, क्रोधित या चिड़चिड़ा, बिस्तर गीला करने आदि जैसे लक्षण प्रदर्शित करना।
- ♦ बच्चे की प्रतिक्रिया के प्रति सहायक तरीके से प्रति उत्तर दें। उनकी चिंताओं को सुनें और उन्हें अतिरिक्त स्नेह तथा ध्यान दें।
- ♦ मुश्किल समय में बच्चों को बड़ों के प्यार और ध्यान की जरूरत होती है। उन्हें अतिरिक्त समय और ध्यान दें।
- ♦ अपने बच्चों को सुनना, प्यार से बातें करना और उन्हें आश्वस्त करना याद रखें। अगर सम्भव हो तो बच्चों को खेलने और आराम करने का अवसर प्रदान करें।
- ♦ बच्चों को उनके माता-पिता तथा परिवार के नजदीक रखें और जितना सम्भव हो उन्हें अपने देखरेख करने वालों से अलग न होने दें। अगर अलगाव होता है (जैसे— अस्पताल में भर्ती होना) तो नियमित संपर्क सुनिश्चित करें (जैसे— फोन के द्वारा) और आश्वस्त करें।
- ♦ जहां तक हो सके नियमित दिनचर्या और समय-सारणी को बनाए रखें या नए वातावरण में नई दिनचर्या तैयार करने में मदद करें जिसमें स्कूल से जुड़ने/सीखना एवं सुरक्षित तरीके से खेलना या आराम करना भी शामिल हो।
- ♦ जो हुआ है इसके बारे में तथ्यों सहित बताएं। समझाएं कि इस समय क्या हो रहा है तथा उन्हें समझाएं और स्पष्ट जानकारी दें कि इस बीमारी से संक्रमित होने के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें यह ऐसे शब्दों में बताया जाना चाहिए, कि वे अपने उम्र के अनुसार समझ सकें। इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि क्या हो सकता है इसकी आश्वासनपूर्ण तरीके से जानकारी देना (जैसे— एक परिवार का सदस्य और/या बच्चा बीमार हो सकता है और उसे थोड़े समय के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है ताकि डॉक्टर उसे ठीक कर दें)।



## गतिविधि 4



## चरण 9

प्रतिभागियों को बताएं की अब हम एक गतिविधि करेंगे ताकि हम यह समझ सकें कि बच्चों को मनो-सामाजिक सहयोग देते समय शब्द कितने मायने रखते हैं। यह बताएं कि बच्चों से बात करते समय हमें सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

### शब्दों का खेल

गतिविधि में प्रतिभागियों को दी गई सूची से सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों की पहचान करने के लिए कहें

दी गई सूची में से सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों की पहचान करें:

क. शारीरिक दूरी — सामाजिक दूरी

ख. वह कोविड-19 से प्रभावित है— वह कोविड-19 का केस है

- ग. वह कोविड-19 से संक्रमित हुआ— उसने कोविड-19 को फैलाया
- घ. कोविड-19 पीड़ित — कोविड-19 सर्वाइवर
- ङ. विशेष समुदाय/क्षेत्र/देश के लोग कोविड-19 फैला सकते हैं— किसी समुदाय/क्षेत्र/देश से संबंधित कोई भी व्यक्ति से कोविड-19 का संक्रमण फैल सकता है

## सही उत्तर:

### सकारात्मक शब्द

- ♦ शारीरिक दूरी
- ♦ वह कोविड-19 से प्रभावित है
- ♦ वह कोविड-19 से संक्रमित हुआ
- ♦ कोविड-19 सर्वाइवर
- ♦ किसी भी समुदाय/क्षेत्र/देश से संबंधित कोई भी व्यक्ति से कोविड-19 का संक्रमण फैल सकता है

### नकारात्मक शब्द

- ♦ सामाजिक दूरी
- ♦ वह कोविड-19 का केस है
- ♦ उसने कोविड-19 को फैलाया
- ♦ कोविड-19 पीड़ित
- ♦ विशेष समुदाय/क्षेत्र/देश के लोग कोविड-19 को फैला सकते हैं



## चरण 10

अब हम जानते हैं कि बच्चों को मनो-सामाजिक सहायता कैसे प्रदान की जाए। हम जानते हैं कि देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को कोविड-19 जैसी बीमारी के दौरान विशेष तरह की सहायता की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ऐसे बच्चों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपायों को प्रसारित किया है। आईए अब इसे समझें।

### कोविड-19 के दौरान बच्चों (देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद तथा कानून का उल्लंघन करने वाले) की, खुशहाली सुनिश्चित करने के उपाय

- ♦ यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों के लिए, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान, तनाव महसूस करना, बेचैनी, दुखी होना तथा चिंतित होना स्वाभाविक है।
- ♦ बच्चों को आश्वस्त करें कि वे सुरक्षित हैं। उन्हें यह जानने दीजिए कि अगर इससे परेशान हैं तो यह कोई चिंता की बात नहीं है।

- ♦ बच्चों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने और जिन पर वे विश्वास करते हैं उनसे अपनी चिंताएं और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- ♦ काविड-19 पर होने वाली बहसों/चर्चाओं को बहुत अधिक देखने, पढ़ने, सुनने से परहेज करें और बच्चों को अपना ध्यान अन्य विषयों पर भी लगाने के लिए समझाएं।
- ♦ दिनचर्या में बदलाव और स्कूलों का बन्द होना भी बच्चों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। घर में नियमित दिनचर्या जारी रखने का प्रयास करें जिसमें कम से कम बदलाव हों।
- ♦ बच्चों के साथ समय बिताएं और उन्हें खुलने का अवसर दें सम्भवतः ऐसी गतिविधियों के द्वारा जिससे उन्हें खुशी मिलती है।
- ♦ बच्चों को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दण्ड या हिंसा का इस्तेमाल न करें।
- ♦ छात्रों को मार्गदर्शन दें कि अपने हम उम्र साथियों की कैसे मदद करें और उन्हें अलग-थलग करने या उनके साथ धमकाने या मारपीट जैसा व्यवहार न करें।
- ♦ बाल देखरेख संस्थानों में ऐसे बच्चों को चिन्हित करने तथा मदद देने के लिए, जिनमें संकट के लक्षण दिख रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी/सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता के साथ कार्य करें।
- ♦ बाल देखरेख संस्थानों में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो पहले से ही हुए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए परामर्श या उपचार ले रहे हैं, उनके उपचार की निरन्तरता उपचारकर्ता/मनोचिकित्सक से सलाह लेकर जारी रखना सुनिश्चित करें।
- ♦ यह सुनिश्चित करें कोई भी कर्मी या बच्चा, किसी भी प्रकार के लांछन वाले शब्दों का या खांसने और छींकने के कारण उत्पन्न व्यवहार के कारण लांछन का शिकार न हो क्योंकि यह 'बराबरी और समभाव', 'गरिमा और महत्व' के सिद्धान्त की अवहेलना है।
- ♦ बच्चे को प्रोत्साहित करें और सहयोग दें ताकि वे अपने शरीर पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, स्ट्रेचिंग करें, योग करें, ध्यान लगाएं, स्वास्थ्यप्रद संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से कसरत करें, पर्याप्त नींद लें आदि।
- ♦ सामाजिक सेवा तंत्र के साथ मिलकर कार्य करें ताकि बाल देखरेख संस्थानों में संकटकालीन आवश्यक सेवाएं, जिनकी कभी-भी ज़रूरत पड़ सकती है जारी रहें जैसे- स्वास्थ्य जांच, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपचार पद्धतियां आदि।
- ♦ निःशक्त बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करें।

आप पहले से ही जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उत्पादक कार्यों में शामिल हैं। एक सकारात्मक वातावरण उनकी सृजनशीलता को बाहर लाएगा जैसे- किचेन गार्डन बनाना, रुमाल बनाना, पेन्टिंग करना, खाना बनाना सीखना आदि।



## चरण 11

प्रतिभागियों के साथ मणिपुर के एक 13 वर्ष के बच्चे का उदाहरण साझा करें जिसने कोविड-19 के दौरान एक अदभुत चीज तैयार की। आईए इस वीडियो को देखें।

<https://www.youtube.com/watch?v=4gmg39oT8xc>

स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स



## चरण 12: कोविड-19 के दौरान मनो-सामाजिक सहायता के लिए भारत सरकार की पहल

यह महसूस करते हुए कि कोविड-19 का प्रभाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, सरकार ने अनेकों ऐसी पहल की है जिससे कोविड-19 के दौरान मनो-सामाजिक सहायता दी जा सके इन पहलों में शामिल हैं:

- ♦ 24 x 7 हेल्पलाइन स्थापित करना जो मनो-सामाजिक सहायता मानसिक विशेषज्ञों द्वारा, प्रभावित जनसंख्या को, विभिन्न लक्ष्य समूहों में बांटकर, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उपलब्ध कराएगी।
- ♦ समाज के विभिन्न भागों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन पर सलाह/दिशानिर्देश जारी करना।
- ♦ विभिन्न मीडिया के मंचों से, सृजनशीलता तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री के रूप में, तनाव तथा व्याकुलता के प्रबंधन और सभी के लिए सहायक और देखरेख करने वाला वातावरण सृजित करने के लिए पैरोकारी की है।
- ♦ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइन्स (एनआईएमएचएनएस), द्वारा 'कोविड-19 महामारी के समय में मानसिक स्वास्थ्य, सामान्य चिकित्सा तथा विशेषीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था' पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी दिशानिर्देशों और सलाहों एवं पैरोकारी की सामग्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट "व्यवहारगत स्वास्थ्य – मनोसामाजिक हेल्पलाइन" (<https://www.mohfw.gov.in/>) पर देखा जा सकता है।
- ♦ एनआईएमएचएनएस द्वारा सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मनो-सामाजिक सहयोग देने के संबंध में ऑनलाइन क्षमता विकास किया गया और शिक्षा प्लेटफार्म के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।



## चरण 13: कोविड-19 के दौरान बाल संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करना: राज्यों से उदाहरण

### पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में, यूनिसेफ, कोलकाता पुलिस को, निर्भया फण्ड का इस्तेमाल करके महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में सहयोग दे रही है।

### ओडिशा

ओडिशा में, यूनिसेफ और राज्य की पुलिस ने, बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहारों के विरुद्ध एक राज्यव्यापी अभियान चलाया जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि रोकथाम और प्रति उत्तर देने में पुलिस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

### छत्तीसगढ़: चकमक अभियान

बच्चों की शिक्षा घर पर सुनिश्चित करने और समुदाय में सकारात्मकता तथा उम्मीद जगाने के लिए (बच्चों द्वारा की गयी पेंटिंग एवं रचनात्मक कार्य द्वारा), राज्य में यूनिसेफ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था चकमक (आग वाला पत्थर)। इसकी शुरुआत अप्रैल-जून 2020 में की गयी। इससे माता-पिता तथा दादा-दादी की, बच्चों की घर पर शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित हुई और बच्चों की, पेंटिंग, कहानी, बुनाई के कार्य तथा गानों के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिला।

<sup>25</sup> <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1654456>

<sup>26</sup> <https://www.unicef.org/india/stories/re-imagining-role-police-covid-19-times>

चकमक अभियान छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक ऐसे मंच के रूप में उभर कर आया जहां वे रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं और घर पर ही मजे ले सकते हैं और अपने परिवार में खुशियां साझा कर सकते हैं। बच्चों ने अभियान के एक हिस्से के रूप में, हजारों पेंटिंग बनाई और अनेकों रचनात्मक कार्यों की रचना की।

प्रत्येक सप्ताह, गतिविधियों तथा कार्यों की एक सूची चिन्हित की जाती है और बच्चों को अपनी पेंटिंगों या कार्यों को अभियान के फेसबुक पेज, जिसका नाम 'चकमक अभियान' है, पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

## केरल

लॉकडाउन के समय के दौरान 'बच्चों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व' (ओआरसी), एक बाल संरक्षण कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत केरल की पुलिस ने की है। इससे अनेकों पहल की शुरुआत हुई है जिससे बच्चों को अधिक उत्पादक तरीकों में शामिल किया जा सकता है और वंचित बच्चों के जीवन में सहायता दी जा सके। आईए इस सम्बन्ध में दो मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानें।

1. **कुट्टी डेस्क:** बच्चों के नेतृत्व में चलाया जा रहा यह कार्यक्रम, अपने हम उम्र साथियों को विभिन्न पक्षों जैसे— व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखें, कोविड-19 के खतरे में कैसे सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के दौरान कैसे प्रभावी तथा रचनात्मक तरीके से समय बिताएं आदि पर टेलिफोन द्वारा मार्गदर्शन देता है। यह पूरे केरल राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।
2. **प्ले हब:** प्ले हब एक इन्फोटेनमेन्ट (जानकारी द्वारा मनोरंजन) कार्यक्रम है जो बच्चों को, सामाजिक अकेलेपन से उत्पन्न बोरियत को दूर करना सिखाता है। इसमें बच्चों को रोज उत्साहवर्द्धक तथा उत्पादक गतिविधियां अपने माता-पिता के साथ मिलकर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी उत्पादक गतिविधियों में व्यस्तता का वीडियो बनाएं। कार्यक्रम का संचालन कठपुतली प्रदर्शन द्वारा किया जाता है।

आईए अब कुट्टी डेस्क का यह वीडियो देखें।

[https://www.youtube.com/watch?v=4IAwf3CGItU&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=4IAwf3CGItU&feature=emb_logo)

<sup>27</sup> <https://orcindia.org/kuttydesk.html>







